

लोक सभा सचिवालय

फैक्स: 23010756

संसदीय सौध

नई दिल्ली-110001

सं.एफ.23/08/2019/ए.एन.-I

दिनांक: 27 जनवरी, 2020

प्रेषक

आर.के. सूर्यनारायणन

निदेशक

प्रेषिती

सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

विषय: लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से भरना।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष पदाधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से वेतन मैट्रिक्स स्तर 14 में संयुक्त सचिव के दो पदों को भरे जाने का प्रस्ताव है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि तीन वर्ष की होगी तथा प्रतिनियुक्ति किए गए अधिकारियों की सेवाओं के निबंधन एवं उनकी शर्तें तत्संबंधी विषय पर संगत आदेशों से शासित होंगे।

2. उपरोक्त के आलोक में, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया भारतीय प्रशासनिक सेवा के उपयुक्त एवं इच्छुक अधिकारियों के नाम उनके विगत पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त सचिव के पद हेतु ब्योरा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के विचारार्थ 30 दिन की अवधि के भीतर अग्रेषित करें। नामांकन अग्रेषित करने के दौरान, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि इन अधिकारियों के संबंध में सतर्कता के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है और उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है। जो अधिकारी जुलाई, 2019 में जारी हमारे पूर्ववर्ती पत्रों की अनुक्रिया में पहले ही आवेदन दे चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

ह/-

निदेशक

दूरभाष सं0 011-23035211

लोक सभा सचिवालय

फैक्स: 23010756

संसदीय सौध

नई दिल्ली-110001

सं.एफ.23/08/2019/ए.एन.-I

दिनांक: 10 दिसम्बर, 2019

प्रेषक

विनोद कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

प्रेषिती

डॉ0 सी. चंद्रमौलि

सचिव

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,

112, नॉर्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली-110001

विषय: लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से भरना।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सचिवालय में अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सेवाओं के समकक्ष अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से वेतन मैट्रिक्स स्तर 14 में संयुक्त सचिव के दो पदों को भरे जाने का प्रस्ताव है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि तीन वर्ष की होगी तथा प्रतिनियुक्ति किए गए अधिकारियों की सेवाओं की निबंधन एवं उनकी शर्तें तत्संबंधी विषय पर संगत आदेशों से शासित होंगे।

2. उपरोक्त के आलोक में, यह अनुरोध किया जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य अखिल भारतीय सेवाओं व केन्द्रीय सेवाओं के समकक्ष उपयुक्त एवं इच्छुक अधिकारियों के नाम उनकी विगत 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव के पद हेतु ब्यौरा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के विचारार्थ 15 दिन की अवधि के भीतर अग्रेषित करें। नामांकन अग्रेषित करने के दौरान, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि इन अधिकारियों के संबंध में सतर्कता के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है और उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है। जो अधिकारी जुलाई, 2019 में जारी हमारे पूर्ववर्ती पत्रों की अनुक्रिया में पहले ही आवेदन दे चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

ह/-

संयुक्त सचिव

दूरभाष सं० - 23034701

फैक्स नं० - 23015101

लोक सभा सचिवालय

फैक्स: 23010756

संसदीय सौध

नई दिल्ली-110001

सं.एफ.23/08/2019/ए.एन.-I

दिनांक: 13 फरवरी, 2020

प्रेषक

आर.के. सूर्यनारायणन

निदेशक

प्रेषिती

डॉ0 सी. चंद्रमौलि

सचिव

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

112, नॉर्थ ब्लॉक

नई दिल्ली-110001

विषय: लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से भरना।

महोदय,

मुझे इस सचिवालय के दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ तथा यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य अखिल भारतीय सेवाओं व केन्द्रीय सेवाओं के समकक्ष उपयुक्त एवं इच्छुक अधिकारियों के नाम उनके विगत 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव के पद हेतु ब्योरा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के विचारार्थ 30 दिन की अवधि के भीतर अग्रेषित करें। नामांकन अग्रेषित करने के दौरान, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि इन अधिकारियों के संबंध में सतर्कता के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है और उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

भवदीय,

ह/-

निदेशक

दूरभाष सं0 011*23035211

लोक सभा सचिवालय

फैक्स: 23010756

संसदीय सौध
नई दिल्ली-110001

सं.एफ.23/08/2019/ए.एन.-I

दिनांक: 13 फरवरी, 2020

प्रेषक

आर.के. सूर्यनारायणन

निदेशक

प्रेषिती

रक्षा सचिव

रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय,

101-ए, साउथ ब्लॉक,

नई दिल्ली।

विषय: लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से भरना।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सचिवालय में केन्द्रीय सेवाओं के समकक्ष अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से वेतन मैट्रिक्स स्तर 14 में संयुक्त सचिव के दो पदों को भरे जाने का प्रस्ताव है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि तीन वर्ष की होगी तथा प्रतिनियुक्ति किए गए अधिकारियों की सेवाओं के निबंधन एवं उनकी शर्तें तत्संबंधी विषय पर संगत आदेशों से शासित होंगे।

2. उपरोक्त के आलोक में, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया रक्षा मंत्रालय के कैंडर नियंत्रण के अंतर्गत केन्द्रीय सेवाओं के उपयुक्त एवं इच्छुक अधिकारियों के नाम उनके विगत 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव के पद हेतु ब्यौरा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के विचारार्थ 30 दिन की अवधि के भीतर अद्योपि करें। नामांकन अद्योपि करने के दौरान, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि इन अधिकारियों के संबंध में सतर्कता के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है और उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

भवदीय,

ह/-

निदेशक

दूरभाष सं० - 23035211

प्रति:-

1. संयुक्त सचिव (स्थापना), रक्षा मंत्रालय
2. संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय

लोक सभा सचिवालय

फैक्स: 23010756

संसदीय सौध
नई दिल्ली-110001

सं.एफ.23/08/2019/ए.एन.-I

दिनांक: 13 फरवरी, 2020

प्रेषक

आर.के. सूर्यनारायणन

निदेशक

प्रेषिती

अध्यक्ष

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी),

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय,

नॉर्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली।

विषय: लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से भरना।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सचिवालय में केन्द्रीय सेवाओं के समकक्ष पदाधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से वेतन मैट्रिक्स स्तर 14 में संयुक्त सचिव के दो पदों को भरे जाने का प्रस्ताव है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि तीन वर्ष की होगी तथा प्रतिनियुक्ति किए गए अधिकारियों की सेवाओं के निबंधन एवं उनकी शर्तें तत्संबंधी विषय पर संगत आदेशों से शासित होंगे।

2. उपरोक्त के आलोक में, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया सी बी डी टी के कैडर नियंत्रण के अंतर्गत भारतीय राजस्व सेवा के उपयुक्त एवं इच्छुक अधिकारियों का नाम उनके विगत 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव के पद हेतु ब्यौरा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के विचारार्थ 30 दिन की अवधि के भीतर अग्रेषित करें। नामांकन अग्रेषित करने के दौरान, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि इन अधिकारियों के संबंध में सतर्कता के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है और उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

भवदीय,

ह/-

निदेशक

दूरभाष सं० - 23035211

लोक सभा सचिवालय

फैक्स: 23010756

संसदीय सौध
नई दिल्ली-110001

सं.एफ.23/08/2019/ए.एन.-I

दिनांक: 13 फरवरी, 2020

प्रेषक

आर.के. सूर्यनारायणन

निदेशक

प्रेषिती

अध्यक्ष

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड(सीबीआईसी),
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विषय: लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से भरना।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सचिवालय में केन्द्रीय सेवाओं के समकक्ष अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से वेतन मैट्रिक्स स्तर 14 में संयुक्त सचिव के दो पदों को भरे जाने का प्रस्ताव है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि तीन वर्ष की होगी तथा प्रतिनियुक्ति किए गए अधिकारियों की सेवाओं के निबंधन एवं उनकी शर्तें तत्संबंधी विषय पर संगत आदेशों से शासित होंगे।

2. उपरोक्त के आलोक में, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया सीबीआईसी के कैंडिडेट नियंत्रण के अंतर्गत भारतीय राजस्व सेवा के उपयुक्त एवं इच्छुक अधिकारियों के नाम उनके विगत 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव के पद हेतु ब्यौरा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के विचारार्थ 30 दिन की अवधि के भीतर अद्योपि करें। नामांकन अद्योपि करने के दौरान, कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि इन अधिकारियों के संबंध में सतर्कता के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है और उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

भवदीय,

ह/-

निदेशक

दूरभाष सं० - 23035211